संख्या-95/2015/1987/नौ-5-2015-82बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
टुण्डला-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 25 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में सड़क सुधार के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-676/न0पा0प0टुण्डला/2014-15 दिनांक 16.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, टुण्डला जनपद फिरोजाबाद को द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष कुल ₹ 561.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि ₹ 280.55 (₹ **दो करोड़ अस्सी लाख पचपन हजार मात्र**) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रम सं0	निकाय/ जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	**नगर पालिका परिषद, टुण्डला-फिरोजाबाद**	1. एटा रोड पर बस स्टैण्ड चौराहे से शिवपुरी गली नं. 3 तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	42.03	
		2. एटा रोड से शिवपुरी गली नं. 3 जंग बहादुर के मकान से इलेक्ट्रोनिक बैल्डिंग की दुकान तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	43.00	
		3. एटा रोड पर ठाकुर हरी सिंह के मकान से अलावलपुर रोड तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	28.02	
		4. अलावलपुर रोड गोपाल के मकान से गायत्री मैरिज होम तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	43.23	
		5. तहसील परिसर से गायत्री मैरिज होम की बाउण्ड्री तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	43.53	
		6. एटा रोड पर सुभाष चौराहे से भान प्रकाश के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	42.36	
		7. एटा रोड पर मटरे लाल के मकान से दुर्गा मन्दिर होते हुए जय प्रकाश के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	42.47	
		8. एटा रोड मनी की मढ़ैया भरत सिंह के मकान से मैसी ट्रेक्टर एजेन्सी तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से	29.67	

क्रम सं0	निकाय/ जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		निर्माण कार्य		
		9. ट्रैक्टर एजेन्सी रोड से विनोद कुमार के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	42.92	
		10. बर्फ फैक्ट्री रोड बिल्डिंग मैटेरियल टाल से बनवारी लाल गौतम के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	34.58	
		11. एटा रोड हरी मोहन पाठक के मकान से बसई मार्ग तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	36.04	
		12. अनामिका टाकीज से काके के मकान होते हुए तारकोल सड़क तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	19.55	
		13. वार्ड नं. 7 टंकी रोड पर एन0एच0-2 रोड से ब्रुकबोण्ड कालोनी होते हुए न0पा0 नलकूप तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	27.47	
		14. स्टेशन रोड पर सेन्ट्रल बैंक से सुधा बंसल हास्पिटल होते हुए भोला प्रेस वाले तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	24.95	
		15. स्टेशन रोड पर रोयल गार्डन मैरिज हाल से भीमसेन के मकान तक नाला पर साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	36.63	
		16. वार्ड नं. 6 एन0एच0-2 रोड शगुन पेलैस से भीमसेन की पुलिया तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग से निर्माण कार्य	24.65	
		योग	561.10	280.55

(₹ दो करोड़ अस्सी लाख पचपन हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्प्ले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय सामान्य-09-सड़क सुधार हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2015/1987(1)/नौ-5-2015-82बजट/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टुण्डला जनपद फिरोजाबाद।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-25/03/2015

प्रेषण संख्या:- 95-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-95-2015-1987-9-5-2015-82Bud-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

05 - अन्य शहरी विकास योजनाये

800 - अन्य व्यय

09 - सड़क सुधार हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	28055000 92971000	28055000 92971000
	योग	वर्तमान प्रगामी	28055000 92971000	28055000 92971000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ अस्सी लाख पचपन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ उन्तीस लाख इकत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव